न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

अपील संख्या : **16/363**

1. लटूर लाल पुत्र बिरधीलाल जाति मीणा निवासी अल्लापुर ।
2. हेमराज पुत्र बिरधी लाल जाति मीणा निवासी अल्लापुर ।
3. कन्या बेवा बिरधीलाल जाति मीणा निवासी अल्लापुर ।
4. रामनिवास पुत्र पन्ना जाति मीणा निवासी खेरदा ।
5. लड्डू लाल पुत्र पन्ना जाति मीणा निवासी खेरदा ।
6. दाखा पुत्री पन्ना जाति मीणा निवासी खेरदा ।
7. कमला पुत्री पन्ना जाति मीणा निवासी खेरदा ।
8. रामसीया पुत्री पन्ना जाति मीणा निवासी खेरदा ।
9. भवानी शंकर पुत्र घासी जाति मीणा निवासी खेरदा ।
10. चन्द्रभान पुत्री घांसी जाति मीणा निवासी खेरदा ।
11. चौथमल पुत्र घांसी जाति मीणा निवासी खेरदा ।
12. केदारलाल पुत्र घांसी जाति मीणा निवासी खेरदा ।
13. गिर्राज पुत्र घांसी जाति मीणा निवासी खेरदा ।
14. गीता पुत्री घांसी जाति मीणा निवासी खेरदा ।
15. अयोध्या पुत्री घांसी जाति मीणा निवासी खेरदा ।
16. केसर बेवा घांसी जाति मीणा निवासी खेरदा ।
17. जोधराज पुत्र सीताराम जाति मीणा निवासी बोरदा ।
18. चेतन पुत्री सीताराम जाति मीणा निवासी बोरदा ।
19. संतोष पुत्री सीताराम जाति मीणा निवासी बोरदा ।
20. सीमा पुत्री सीताराम जाति मीणा निवासी बोरदा ।
21. फूमा बेवा सीताराम जाति मीणा निवासी बोरदा ।
22. कुंज बिहारी पुत्र किशना जाति मीणा निवासी बोरदा ।
23. छगन लाल पुत्र किसना जाति मीणा निवासी बोरदा ।
24. छोटूलाल पुत्र किसना जाति मीणा निवासी बोरदा ।
25. रूकमणी पुत्री किसाना जाति मीणा निवासी बोरदा ।
26. किसकंदा पुत्री किसाना जाति मीणा निवासी बोरदा ।
27. प्रभूलाल पुत्र बिसना जाति मीणा निवासी खेरदा ।
28. रामहेत पुत्र बिसना जाति मीणा निवासी खेरदा ।
29. बद्रीलाल पुत्र बिसना जाति मीणा निवासी खेरदा ।
30. रामकल्याण पुत्र बिसना जाति मीणा निवासी खेरदा ।
31. गायत्री पुत्री बिसना जाति मीणा निवासी खेरदा ।
32. द्रोपती पुत्री बिसना जाति मीणा निवासी खेरदा ।
33. गोमदी पुत्री बिसना जाति मीणा निवासी खेरदा तहसील पीपल्दा ।

——अपील

बनाम

1. मांगीलाल पुत्र धन्ना जाति मीणा निवासी बोरदा ।

2. लटूर लाल पुत्र धन्ना जाति मीणा निवासी बोरदा ।
3. बंशी लाल पुत्र धन्ना जाति मीणा निवासी बोरदा ।
4. महावीर पुत्र धन्ना जाति मीणा निवासी बोरदा ।
5. परमानन्द पुत्र जगन्नाथ जाति मीणा निवासी बोरदा ।
6. जलेबी पुत्री जगन्नाथ जाति मीणा निवासी बोरदा ।
7. संतरा पुत्री जगन्नाथ जाति मीणा निवासी बोरदा ।
8. रामप्यारी बेवा जगन्नाथ जाति मीणा निवासी बोरदा जातियान मीणा निवासीगण बोरदा तहसील पीपल्दा जिला कोटा ।
9. राज0 सरकार जरिये तहसीलदार, पीपल्दा जिला कोटा ।

—रेस्पोडेन्ट

उपस्थित :— 1. श्री फिरोज आब्दी, अभिभाषक, अपीलान्ट की ओर से ।
2. श्री रघुवीर सिंह राठौड, अभिभाषक, रेस्पोडेन्ट की ओर से ।

दिनांक: 22.03.2018

निर्णय

1. अपीलान्ट द्वारा उक्त अपील अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, इटावा जिला कोटा द्वारा पारित निर्णय दिनांक 04.07.2016 के विरूद्ध पेश की गई है ।

2. प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार से हैं प्रार्थीगण रेस्पोडेन्ट कम 1 से 8 ने अधीनस्थ न्यायालय में राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 212 के अन्तर्गत ग्राम आडागेला उर्फ हरिनगर की आराजी खसरा नम्बर 466 रकबा 5.70 हैक्टर भूमि के सम्बन्ध में प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि उक्त भूमि के अलावा अन्य भूमियॉ पक्षकारान की संयुक्त खातेदारी की भूमियॉ हैं । प्रार्थीगण के पिता/दादा तथा अप्रार्थीगण के पिता/दादा नारायण के पुत्रान धन्ना पन्ना, घासी, बिसना, किसाना पांच भाईयों द्वारा पिता नारायण की मौजूदगी में ग्राम वासियान के समक्ष दिनांक 08.06.1980 को एक पंचनामा समझौता तहरीर आलेखित किया गया कि हम में से जो भी पिता नारायण की वृद्धावस्था में सेवा सुश्रुषा देखभाल व उनका भरण पोषण करेगा उसके लिए 40 बीघा खेत अर्थात् वादग्रस्त आराजी दी जावेगी तब से उक्त आराजी धन्ना लाल के हवाले कर जिस पर हमारा भाई धन्ना अपना स्वयं का नाम खाते में दर्ज करावे । नारायण के फौत हो जाने के बाद प्रार्थीगण के पिता/दादा निरक्षर व राजस्व जानकारी नहीं होने के कारण तत्कालीन राजस्व कर्मचारियों द्वारा मृतक नारायण के स्थान पर उक्त आराजी की आलेखित तहरीर की अनदेखी करते हुए अप्रार्थीगण के पिता/दादा अप्रार्थीगण का नाम राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद कर दिया जो त्रुटिपूर्ण है ।

3. अतः अप्रार्थीगण के विरूद्ध इस आशय की अस्थायी निषेधाज्ञा पारित की जावे कि प्रार्थीगण के संयुक्त खाते एवं कब्जे काश्त की आराजी पर अप्रार्थीगण प्रार्थीगण के शांतिपूर्ण कब्जे काश्त में किसी प्रकार की मदाखलत व मजाहमत नहीं करे उक्त कृत्य न तो अप्रार्थीगण स्वयं करे और न ही अपने किसी प्रतिनिधि आदि से करावें तथा उक्त भूमि को खुर्द–बुर्द नहीं करे तथा राजस्व रिकॉर्ड में यथा स्थिति बनाये रखे ।

4. अधीनस्थ न्यायालय ने अपने निर्णय दिनांक 04.07.2016 के द्वारा प्रार्थी का प्रार्थना पत्र बाबत् जरिये अस्थायी निषेधाज्ञा का स्वीकार करते हुए अप्रार्थीगण को जरिये अस्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द किये जाने का आदेश पारित किया ।

5. अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित उक्त अपीलाधीन निर्णय दिनांक 04.07.2016 से व्यथित होकर अप्रार्थीगण अपीलान्ट ने न्यायालय हाजा में अपील प्रस्तुत कर अपील अपीलान्ट स्वीकार करने एवं अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय निरस्त करने का निवेदन किया ।

6. अपील अपीलान्ट दर्ज रजिस्टर की गई । अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई । उभय पक्ष के लायक अधिवक्तागण की बहस सुनी गई ।

7. अपीलान्ट के लायक अधिवक्ता ने अपनी बहस में अपील मीमो में कहे गये कथनों को दोहराया और कथन किया कि वादग्रस्त आराजी पक्षकारान की पैतृक कृषि भूमि है तथा जिसमें अपीलान्ट एवं रेस्पोडेन्ट दोनों का समान हित एवं अधिकार व कब्जा है । अधीनस्थ न्यायालय ने अपंजीकृत व गैर कानूनी दस्तावेज को आधार मानते हुए रेस्पोडेन्ट की अस्थायी निषेधाज्ञा स्वीकार करने की कानूनी भूल की है । अधीनस्थ न्यायालय ने अपने निर्णय में उल्लेखित किया है कि पक्षकारान अपने पूर्वजों के समय हुए विभाजन के अनुसार विवादित आराजी पर काबिज काश्त हैं जबकि जो विभाजन प्रार्थीगण रेस्पोडेन्ट ने न्यायालय से प्रार्थना पत्र में वर्णित किया है उसमें उक्त आराजी प्रार्थीगण रेस्पोडेन्ट को विभाजन से मिलना नहीं बताया है । प्रस्तुत प्रकरण में यदि स्वर्गीय नारायण ने 1980 में कोई तहरीर निष्पादित की होती तो जब नारायण की मृत्यु के बाद उसके पुत्र धन्ना लाल द्वारा उक्त तहरीर के आधार पर स्वयं का नाम इंतकाल खुलाने की कार्यवाही व घोषणा का दावा करने की कार्यवाही करने चाहिए थी किन्तु धन्ना लाल द्वारा अपनी जिन्दगी में ऐसी कोई कार्यवाही नहीं की गई इससे यह साबित होता है कि स्व0 नारायण द्वारा कोई तहरीर धन्ना लाल के पक्ष में निष्पादित नहीं की गई इसलिए उक्त आराजी पर नारायण कि मृत्यु के बाद धन्नालाल के साथ अपने चार अन्य भाईयों के नाम उक्त आराजी पर स्वीकार कर लिया था । ऐसी स्थिति में उक्त गैर कानूनी दस्तावेजों के आधर पर उक्त कार्यवाही एक लम्बे समय बाद पेश की गई है जो कतई गलत व गैर कानूनी होने से व धन्ना लाल द्वारा उक्त इंतकाल को स्वीकार कर लेने से रेस्पोडेन्ट उक्त कार्यवाही करने से एस्टोप्ड है । इस प्रकार अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जो निर्णय पारित किया गया है वह त्रुटिपूर्ण होने से निरस्तनीय है । अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 04.07.2016 निरस्त फरमया जावे ।

8. रेस्पोडेन्ट के लायक अधिवक्ता ने अपनी बहस में निवेदन किया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जो निर्णय पारित किया है उसमें किसी प्रकार की विधिक त्रुटि नहीं की है । प्रार्थीगण रेस्पोडेन्ट के पिता/दादा तथा अप्रार्थीगण के पिता/दादा नारायण के पुत्रान धन्ना पन्ना, घासी, बिसना, किसाना पांच भाईयों द्वारा पिता नारायण की मौजूदगी में ग्राम वासियान के समक्ष दिनांक 08.06.1980 को एक पंचनामा समझौता तहरीर आलेखित किया गया कि हम में से जो भी पिता नारायण की वृद्धावस्था में सेवा सुश्रुषा देखभाल व उनका भरण पोषण करेगा उसके लिए 40 बीघा खेत अर्थात् वादग्रस्त आराजी दी जावेगी तब से उक्त आराजी धन्ना लाल के हवाले कर जिस पर हमारा भाई धन्ना अपना स्वयं का नाम खाते में दर्ज करावे । नारायण के फौत हो जाने के बाद प्रार्थीगण रेस्पोडेन्ट के पिता/दादा निरक्षर व राजस्व जानकारी नहीं होने के कारण तत्कालीन राजस्व कर्मचारियों द्वारा मृतक नारायण के स्थान पर उक्त आराजी की आलेखित तहरीर की अनदेखी करते हुए अप्रार्थीगण के पिता/दादा अप्रार्थीगण का नाम राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद कर दिया जो त्रुटिपूर्ण था । इस प्रकार अधीनस्थ न्यायालय ने प्रार्थीगण रेस्पोडेन्ट का प्रार्थना पत्र स्वीकार कर अप्रार्थीगण अपीलान्ट के विरूद्ध अस्थायी

निषेधाज्ञा जारी की है जिसमें किसी प्रकार की विधिक त्रुटि नहीं की है । अतः अपील अपीलान्ट खारिज फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 04.07.2016 बहाल रखा जावे ।

9. हमने पत्रावली का अद्योपान्त अवलोकन किया एवं उभय पक्ष के लायक अधिवक्तागण की बहस पर मनन किया एवं पक्षकारान द्वारा प्रस्तुत न्यायिक दृष्टांतों का अवलोकन किया । हमने पत्रावली में उपलब्ध राजस्व रिकॉर्ड का अवलोकन किया । प्रस्तुत प्रकरण में अधीनस्थ न्यायालय में पटवारी हल्का से मौका रिपोर्ट मंगवाई जिसमें पटवारी हल्का ने वादग्रस्त आराजी पर मृतक धन्ना के वारिसान अर्थात् प्रार्थीगण रेस्पोडेन्ट का कब्जा काश्त माना है और उसी आधार पर अधीनस्थ न्यायालय ने उक्त निर्णय पारित किया है जिसमें किसी प्रकार की विधिक त्रुटि नहीं की है ।

10. प्रस्तुत प्रकरण में स्वत्व अधिकारों का निर्धारण मूल वाद के निस्तारण के समय होगा अभी अस्थायी निषेधाज्ञा के प्रार्थना पत्र की स्टेज पर हमे केवल इतना देखना है कि प्रथमदृष्टया प्रकरण किसके पक्ष में है तथा सुविधा का संतुलन एवं अपूर्णीय क्षति होने की संभावना किसे है प्रस्तुत प्रकरण में वादग्रस्त आराजी पर प्रार्थीगण रेस्पोडेन्ट का कब्जा है । ऐसी स्थिति में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जो निर्णय पारित किया है उसमें किसी प्रकार की विधिक त्रुटि किया जाना प्रतीत नहीं होता है । हम अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय से सहमत हैं और उसमें किसी प्रकार का हस्तक्षेप किया जाना न्यायहित में उचित नहीं समझते हैं ।

11. अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलान्ट खारिज की जाती है । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 04.07.2016 बहाल रखा जाता है ।

12. निर्णय आज दिनांक 22.03.2018 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

(पंकज कुमार ओझा)
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा